होता है और इसके लिए उन्हें किसी डाक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन आशाज़ के इंस्टीट्यूशन को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के माध्यम से इनके सर्टिफिकेशन का काम आगे आने वाले समय में किया जा रहा है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से इनको एएनएम/जीएनएम बनने के लिए बाकी लोगों के मुकाबले प्राथमिकता दे रहे हैं। आशा वर्कर्स को जितना भी एनकरेज किया जा सकता है, उनको इस प्रोग्राम के तरह एनकरेज किया जा रहा है और उनके ऑनेरेरियम को भी हर प्रकार से और बेहतर करने की दृष्टि से हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके लिए छूट दी हुई है। कई जगहों पर कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी भारत सरकार जो ऑनेरेरियम देती है, उसके अलावा जितना भारत सरकार देती है, उसमें मिला कर कई जगह 50 परसेंट, कई जगह 25 परसेंट, उसको स्ट्रेंथेन करती हैं। उनको एनकरेज करने के लिए हमारे पास जितने भी सम्बन्धित विषय हो सकते हैं, हमने उनके लिए वे सारे के सारे प्रावधान किए हैं।

MR. CHAIRMAN : Question No. 484.

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, I want to make a point. ...(*Interruptions*)... It will take just one minute. There is a very important point I want to ask the hon. Minister ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Why cannot you ask it separately ? ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, we are all concerned about the nutritional status of our children in the country. I am sure, you are also concerned. If you don't take care of them, how...

MR. CHAIRMAN: Your point is well made, but this is not the occasion. Now, Q.No.484. ...(*Interruptions*)... Let the question be answered first.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में हृदय शल्य-चिकित्सा हेतु मरीजों की प्रतीक्षा सूची

*484. **चौधरी मुनव्वर सलीम**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली जैसी सरकारी संस्था में एक मरीज अपने हृदय की शल्य चिकित्सा कराने के लिए आठ वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहा, जबकि प्रतीक्षा सूची में उसके बाद आने वाले हजारों मरीजों की शल्य-चिकित्सा की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या सरकार इस लापरवाही अथवा पक्षपात के लिए जिम्मेदार चिकित्सकों के विरुद्ध तत्काल किसी कार्रवाई किए जाने की घोषणा करेंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. हर्ष वर्धन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के रिकार्ड के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं है जहां चिकित्सकों की लापरवाही अथवा पक्षपात के कारण किसी एक रोगी को अपने हृदय की शल्य चिकित्सा के लिए आठ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।

Waiting list of patients for heart surgery at AIIMS, Delhi

†*484. CHAUDHARY MUNAVVER SALEEM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a patient is made to wait for eight years to get his heart operated at Government institutions like AIIMS, Delhi while thousands of patients next in line after him have been operated; and

(b) if so, who is responsible for this situation and whether Government will announce any action immediately against doctors who are responsible' for this negligence or discrimination?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN) : (a) and (b) As per record of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, there is no such case where a patient had to wait for 8 years for heart operation because of negligence or discrimination on the part of Doctors.

चौधरी मुनव्वर सलीम : चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, 13.09.2005 को विदिशा, मध्य प्रदेश की बेबी सना ने अपनी हार्ट की सर्जरी के लिए पहली बार AIIMS में दिखाया था। तब से वह बच्ची लगातार प्रयास कर रही है और अब वह बेबी 8 साल से 16 साल की हो गई है। ऐसे कितने ही बदकिस्मत मरीज़ और हैं। उस बच्ची को और कब तक इंतजार करना होगा?

†† **چودھری منوّر سلیم** : چیئرمین صاحب، میں آپ کے ذریعے مانّئے سواستھے منتری جی سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں، 13-09-2005 کو ودیشا، مدھیہ پردیش کی بےبی ثناء نے اپنی ہارٹ کی سرجری کے لئے پہلی بار ایمس میں دکھایا تھا۔ تب سے وہ بچی لگاتار پریاس کر رہی ہے اور وہ بےبی 8 سال سے 16 سال کی ہو گئی ہے۔ ایسے کتنے ہی بدقسمت مریض اور ہیں۔ اس بچی کو اور کب تک انتظار کرنا ہوگا؟

डा. हर्ष वर्धन: सर, हमारी जानकारी के हिसाब से किसी भी मरीज़ की 8 वर्ष वेटिंग लिस्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे कि यह सवाल All India Institute of Medical Sciences के बारे में और Cardio Thoracic Surgery के बारे में पूछा गया है, वहां पर तीन महीने से लेकर तीन साल तक की वेटिंग लिस्ट के बारे में तो वहां के डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं। सर, हम सब इस बात को एप्रिशिएट कर सकते हैं कि All India Institute of Medical Sciences के ऊपर देश भर के मरीजों का बहुत

†Original notice of the question was received in Hindi.

††Transliteration in Urdu Script.

ज्यादा लोड है। वहां पर आज भी Cardio Thoracic Surgery में एक समय में 8 ऑपरेशन थिएटर काम करते हैं। हार्ट की सर्जरी में एक लम्बा समय लगता है, इसलिए एक दिन में, on an average, दो रेगुलर सर्जरीज़ के अलावा एक एमरजेंसी सर्जरी भी होती है, यानी डेली 16 सर्जरीज़ होती हैं।

इसके अतिरिक्त, वहां के डॉक्टर यह भी बताते हैं कि बहुत सारे मरीज़ों के लिए उनके ऊपर हमारे और आपके सांसदों का भी बहुत प्रेशर रहता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए out of turn ऑपरेशन करने का आग्रह करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, अगर किसी मरीज़ का नाम वेटिंग लिस्ट के अन्दर है और जब वेटिंग लिस्ट के अनुसार उसको बुलाया जाता है, लेकिन उस समय वह रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी जगह दूसरे मरीज़ को मौका दे दिया जाता है। इस दृष्टि से सम्भवतः इस बच्ची के केस में भी ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास इस बच्ची के केस की पूरी जानकारी है, तो आप हमें वह दे सकते हैं।

इस समस्या के दूरगामी समाधान के लिए भारत सरकार इस बात का प्रयास भी कर रही है कि देश भर में हम Treasury Care के All India Institute of Medical Sciences जैसे सेंटर्स को स्थापित करें, साथ ही कैंसर के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स भी देश भर में स्थापित किए जाएं। इसके लिए हमारा प्रयास है कि देश में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको मेडिकल कॉलेज़िज में और मेडिकल कॉलेज़िज को सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल्स में परिवर्तित करें, ताकि स्टेट्स के अन्दर इस प्रकार के सुपर स्पेशिलिटी ट्रीटमेंट को अवेल करने वाले जो लोग हैं, उनका इलाज वहीं हो सके। इससे हमारे All India Institute of Medical Sciences जैसे Institution पर लोड फर्दर कम हो सकेगा और वेटिंग लिस्ट को भी हम कम कर सकेंगे।

चौधरी मुनव्वर सलीम : चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारियों को बधाई देता हूं, क्योंकि उनकी हिम्मत है कि उन्होंने लोकतन्त्र के मन्दिर को असत्य जानकारी दी है और यह कहा है कि इस तरह का कोई प्रकरण हमारी जानकारी में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं इस बच्ची का ओपीडी नं. 20987 है। इसने पहली बार 13.09.2005 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिखाया था। दोबारा उसने 19.09.2008 को दिखाया, फिर जब डॉक्टर ने बुलाया, तो 20.10.2008 को दिखाया, 07.11.2008 को दिखाया और 17.11.2008 को दिखाया। यह बच्ची गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों में से है, लेकिन 16.01.2009 को इसने ऑपरेशन के लिए पैसे और खून भी जमा कराए।

माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी इस सन्दर्भ में मैंने 03.12.2012 को यह दर्दनाक दास्तान लिखी थी। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारियों की जुर्रत को आपके ज़रिए मुबारक़बाद देता हूं और मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को, जिन्होंने आपको यह जानकारी दी है कि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नहीं आया है, क्या आप कोई सज़ा देने की ज़हमत करेंगे?

چودھری منوّر سلیم : چیئرمین صاحب، آپ کے ذریعے میں اکھل بھارتیہ آیورگیان سنستھان کے ادھیکاریوں کو بدھائی دیتا ہوں، کیوں کہ ان کی ہمّت ہے کہ انہوں نے لوک-تنتر کے مندر کو استّے جانکاری دی ہے اور یہ کہا کہ اس طرح کاکوئی پرکرن ہماری جانکاری میں نہیں ہے۔ میں مانّئے منتری جی کو بتانا چاہتا ہوں اس کواکھل بھارتیہ 13.09.2005 ہے۔ اس نے پہلی بار 20987بچی کا او۔پی۔ڈی۔ نمبر کو دکھایا، پھر 19.09.2008آیوروگیان سنستھان میں دکھایا تھا۔ دوبارہ اس نے کو دکھایا اور 07.11.2008 کو دکھایا، 20.10.2008جب ڈاکٹر نے بلایا، تو کو دکھایا۔ یہ بچی غریبی ریکھا کے نیچے جینے والوں میں سے 17.11.2008 کو اس نے آپریشن کے لئے پیسے اور خون بھی جمع 16.01.2009ہے، اور کرائے۔

مانّئے غلام نبی آزاد صاحب جب سواستھہ منتری تھے، ان کو بھی اس سندربھہ میں، میں نے 03.12.2012 کو یہ دردناک داستان لکھی تھی۔ میں اکھل بھارتیہ آویوروگیان سنستھان کے ادھیکاریوں کی جرّت کو آپ کے ذریعے مبارکباد دیتا ہوں اور منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے ادھیکاری، جنہوں نے آپ کہ یہ جانکاری دی ہے کہ اس پرکار کا کوئی بھی پرکرن اکھل بھارتیہ آیوروگیان سنستھان میں نہیں آیا ہے، کیا آپ ان کو کوئی سزا دینے کی زحمت کریں گے؟

†Transliteration in Urdu Script.

डा. हर्ष वर्धन: सर, जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर आपके पास किसी मरीज़ की स्पसिफिक जानकारी है, तो वह आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करवाऊँगा। लेकिन ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आपने अपनी बात कह दी। अब आप जवाब सुन लीजिए।

डा. हर्ष वर्धन: सर, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के डॉक्टर ने खुद स्वीकार किया है कि उनके यहाँ वेटिंग लिस्ट तीन साल तक की है। मैंने तो उसको डिनाई नहीं किया। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है कि वह तीन साल से भी ज्यादा समय का है, तो मुझे बताइए। मैं उसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज। ...(**व्यवधान**)... आपका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। मंत्री जी उस मामले को देख लेंगे।

डा. हर्ष वर्धन: आप बच्ची के केस के बारे में मुझे जानकारी दे दें, मैं पता कर लेता हूँ कि इसकी कितनी लम्बी वेटिंग लिस्ट है। ...(**व्यवधान**)... और मैं उसको उचित उपचार दिलाने की तुरंत व्यवस्था करता हूँ।

श्री सभापति: ठीक है। श्री परवेज़ हाशमी।

श्री परवेज़ हाशमी: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अब तक हार्ट के कितने पेशेंट्स पिछले तीन साल से वेटिंग लिस्ट में हैं? आपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट 16 ऑपरेशंस पर डे बताए हैं, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बीपीएल के कितने लोग होते हैं? 22 साल से आप भी इसको देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। हम दोनों इस प्रॉब्लम को दिल्ली में एक साथ ही देखते रहे हैं। तो कितने ऑपरेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होते हैं, तीन साल से कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और उनके नम्बर क्या हैं?

श्री सभापति: यह एक सवाल है या कई सवाल हैं?

श्री परवेज़ हाशमी: सर, यह एक ही सवाल है कि वेटिंग लिस्ट में कितने लोग अभी तक हैं और उनका कितना नम्बर है, जो 16 फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशंस होते हैं, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बीपीएल के कितने लोग हैं?

डा. हर्ष वर्धन: सर, मेरे पास हर अस्पताल की, हर सब्जेक्ट की और हर बीमारी की वेटिंग लिस्ट्स के पूरे डिटेल्स उपलब्ध हैं। अगर आप कहें, तो मैं सारी की सारी पढ़ कर सुना देता हूँ और अगर आप कहें तो मैं टेबल पर रख देता हूँ।

MR. CHIRMAN: That will take too much of time. You can make the details available. *...(Interruptions)...*

SHRI PARVEZ HASHMI: Sir, I am Just asking about the AIIMS. I am not asking about every hospital. Dr. Saheb, just give the details.

श्री सभापति: वे डिटेल्स आपको दे देंगे।

श्री परवेज़ हाशमी: सर, एम्स का वे 16 बता रहे हैं। डिटेल्स की क्या बात है? यह एक छोटा सा सवाल है।

श्री सभापति: आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये आपको भिजवा देंगे।

श्री परवेज़ हाशमी: ठीक है, सर। भिजवा दीजिए। अगर यह आपके पास अभी नहीं है तो बाद में दे दीजिए। 22 साल से हम और आप यही करते रहे हैं, इसी परेशानी से, इसी तकलीफ से जूझते रहे हैं।

डा. हर्ष वर्धन: सर, अगर आप कहें, तो मैं इसे पूरी पढ़ कर सुना देता हूँ। मेरे पास हर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है।

MR. CHAIRMAN: No; it will not be fair to other questions.

डा. हर्ष वर्धन: सर, माननीय सदस्य के पास मैं पूरी लिस्ट भिजवा दूँगा।

श्री सभापति: ठीक है, आप सारी इन्फॉर्मेशन उनको भेज दीजिएगा। श्री ए.यू. सिंह दिव।

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, I don't have to put a supplementary on this Question.

MR. CHAIRMAN: Are you not putting a question?

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, not on this.

MR. CHAIRMAN: All right. Now, Shri Naresh Gujral.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, since there is a large waiting list in Government hospitals here, especially in AIIMS, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that when land was given to private hospitals in Delhi at highly subsidized prices, they were meant to perform free surgeries in lieu of that. Is the Government taking steps to ensure that some of this backlog is transferred to the private hospitals which got free or highly subsidized land from the Government of India? If so, how many such surgeries are performed by these hospitals every year?

डा. हर्ष वर्धन: सर, दिल्ली के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिन्होंने सरकार से सस्ते रेट्स पर लैंड ली है और उसके बदले उन्हें कुछ प्रतिशत बेड्स पर फ्री ट्रीटमेंट देना आवश्यक है, उनसे सरकार के द्वारा रेगुलर फीडबैक लिए जाते हैं, रिपोर्टिंग्स ली जाती हैं, क्योंकि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है और दिल्ली के अन्दर यह विषय दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज़ इसकी रिपोर्ट्स लेता है। अगर इस संदर्भ में हमारे पास कोई भी शिकायत आती है, तो इसके लिए जो भी संबंधित अधिकार क्षेत्र की संस्थाएँ हैं, उनको हम उसकी जानकारी देते हैं।

सर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के संदर्भ में मुझे माननीय सदस्यों को केवल इतना सूचित करना है कि यहाँ पर आने वाले समय में हम लोग ओपीडी का एक सात मंजिला नया ब्लॉक और एम्स का ही एकदम रिप्लिका जैसा इंस्टीट्यूशन, जिसमें इतनी ही सर्जरीज़ इत्यादि हो सकेंगीं, वह हरियाणा के झज्जर में बनाने जा रहे हैं, जहाँ एम्स के सारे डिपार्टमेंट्स भी होंगे और कैंसर का भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होगा, जिससे दिल्ली के एम्स के उपर भी जो लोड है, उसको भी हम फर्दर कम कर सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, इनको भी हम और ज्यादा स्ट्राँग्ली मॉनिटर करते हैं।

SHRI K.T.S. TULSI: Hon. Chairman, Sir, I want to mention that the question of Chaudhary Munavver Saleem is clear and categorical. The question is...

MR. CHAIRMAN: The information will be given to him. What is your supplementary?

SHRI K.T.S. TULSI: I am submitting that the question was that the patient was made to wait for eight years. It was categorical and the hon. Member is in possession of record. The answer of the hon. Minister is not correct. ...*(Interruptions)*... It is completely wrong. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That is not your supplementary. ...*(Interruptions)*... That is not a supplementary question. Leave it to the hon. Member. ...*(Interruptions)*... Question No.485.

Mandatory CSR activities by companies

*485. DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of CORPORATE AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is making it mandatory to all the companies registered under the Companies Act to take up Corporate Social Responsibility (CSR) activities compulsorily;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government is also planning to establish a separate Department to look into the CSR activities taken up by the companies; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Companies Act, 2013 does not mandate Corporate Social Responsibility (CSR) for all companies registered under the Companies Act. Under Section 135(1) of the Act, however, every company having net worth of rupees five hundred crore or more, or turnover of rupees one thousand crore or more net profit of rupees five crore or more during any financial year shall constitute a CSR Committee of the Board and take up CSR activities.

(c) and (d) No, Sir.

MR. CHAIRMAN: Question No.485. Hon. Member not present. Any supplementary?